EPCH हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS
EPCH HOUSE Pocket 6 & 7 Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com I www.epch.in
CIN U20299DL1955NPLO23253
GST NO: 07AAACE1747M1ZJ

प्रेस विज्ञप्ति

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट की घोषणा

निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना,
हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हेतु अतिरिक्त वस्तुओं की अधिसूचना

नई दिल्ली – 01 फरवरी, 2025: आज, 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। ईपीसीएच के अध्यक्ष श्री दिलीप बैद ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन और क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्यात बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा तैयार करता है। बजट 2025 में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए कुछ लाभ शामिल हैं, जिसका प्रतिनिधित्व परिषद कई मंचों पर करती रही है। आगे उन्होंने कहा कि बजट में संबोधित कुछ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

- **शुल्क मुक्त आयात -** पहले वास्तविक हस्तशिल्प निर्यातकों द्वारा रियायती शुल्क दर पर माल के आयात (आईजीसीआर) के तहत 9 वस्तुओं को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति थी। बजट 2025-26 में, आईजीसीआर के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त 9 वस्तुओं को शामिल किया गया है:-

  "(जे) इलेक्ट्रिक लैंप / टेबल लैंप / दीवार लैंप / छत लैंप / दरवाजा लैंप / खिड़की लैंप / गार्डन लैंप / वायर रोल / क्रिसमस अलंकरण पर फिटिंग के लिए इलेक्ट्रिक पार्ट्स
  (के) निर्यात उत्पाद की बेहतर फिनिश के लिए आवश्यक रसायन / लाह
  (एल) लकड़ी पॉलिश सामग्री
  (एम) समुद्री शंख, मदर ऑफ पर्ल (एमओपी), मवेशी सींग और हड्डी सामग्री
  (एन) घड़ी की गति
  (ओ) चिपकने वाला / गोंद
  (पी) प्राकृतिक आवश्यक तेल / सुगंधित रसायन
  (क्यू) कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और 120 वोल्ट के बल्ब
  (आर) रेजिन";

  प्रासंगिक नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है और मासिक विवरण के बजाय केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा। इसके अलावा, बशर्ते कि बारह महीने की उक्त अवधि को क्षेत्राधिकार प्राप्त आयुक्त द्वारा तीन महीने से अधिक अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

- **निर्यात संवर्धन मिशन**- वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित किया जाएगा। यह निर्यात ऋण, सीमा पार फैक्टरिंग सहायता और एमएसएमई को विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने के लिए सहायता तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

- **भारत ट्रेड नेट** - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 'भारत ट्रेड नेट' (बीटीएन) व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में स्थापित किया जाएगा। बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।

- **एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन** - एमएसएमई हमारे निर्यात का 45 प्रतिशत हिस्सा है और उन्हें उच्च दक्षता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में मदद करने के लिए, सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया गया है।

Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

- **सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड** - उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड के लिए नई योजना की घोषणा की गई है।

- **नए उद्यमियों के लिए योजना** - महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नए उद्यमियों के लिए एक नई योजना अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान करेगी।

- **कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र** - "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए समर्थन** - वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ हमारी अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सुविधा समूह बनाए जाएंगे।

- **अनंतिम मूल्यांकन के लिए समय सीमा** - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है, जिससे व्यापार में अनिश्चितता और लागत बढ़ती है। व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो साल की समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव है, जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है।

- **कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस/टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना** - टीडीएस की कटौती की दरों और सीमा को कम करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाना। किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जा रहा है।

- **सीमा शुल्क में कटौती** - कुछ वस्तुओं के सीमा शुल्क में कमी की गई है जैसे संगमरमर, "शीर्षक 9403 के टैरिफ के तहत अन्य फर्नीचर और पुर्जे" के तहत लोहे/स्टील के अन्य सभी लेख और शीर्षक 7113 के तहत नकली आभूषण के लेख।

- **खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय** - खिलौनों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भारत को 'मेड इन इंडिया' ब्रांड के तहत खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की योजना लेकर आएगी। यह योजना क्लस्टरों, कौशल और एक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी जो उच्च गुणवत्ता वाले, अद्वितीय, अभिनव और टिकाऊ खिलौने बनाएगी।

ईपीसीएच के चेयरमैन श्री दिलीप बैद ने कहा, "व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म भारत ट्रेडनेट (बीटीएन) का विकास और निर्यात ऋण और फैक्टरिंग के लिए निर्यात संवर्धन मिशन एमएसएमई को विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने में सहायता करेगा। एमएसएमई के लिए संशोधित वर्गीकरण मानदंड; पहले वर्ष में 5 लाख रुपये की सीमा के साथ सूक्ष्म उद्यमों के लिए नई अनुकूलित क्रेडिट कार्ड योजना; कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र; वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण; पहली बार महिलाओं, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए ऋण योजना; अनंतिम मूल्यांकन के लिए बढ़ी हुई समय सीमा; कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस/टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना और अन्य माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने में एक लंबा रास्ता तय करेंगी।"

ईपीसीएच के उपाध्यक्ष श्री नीरज खन्ना ने कहा कि "बजट 2025 में शुल्क मुक्त आयात की सूची में नौ अतिरिक्त वस्तुओं को जोड़ा गया है, जिससे हस्तशिल्प उत्पादन के लिए इनपुट लागत कम हो जाएगी। इससे विविध कच्चे माल के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे निर्माताओं को वैश्विक बाजारों की व्यापक रेंज को पूरा करने में मदद मिलेगी। बजट में एमएसएमई को वित्तीय सहायता देकर, व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और बुनियादी ढांचे में सुधार करके निर्यात को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया है।"

ईपीसीएच के उपाध्यक्ष द्वितीय श्री सागर मेहता ने कहा कि "बजट एक दूरदर्शी खाका है जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर विशेष जोर देते हुए बजट ने भारत की विकास क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कराधान, बुनियादी ढांचे और वित्तीय विनियमन में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं।"

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने कहा कि "केंद्रीय बजट 2025-26 'सबका विकास' को साकार करने और भारत को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा निर्धारित करता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का इनपुट लागत कम करने पर ध्यान, खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भारत को 'मेड इन इंडिया' ब्रांड के तहत खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने और चमड़ा क्षेत्र का समर्थन करने से निर्माताओं को अपने उत्पाद लाइनों का नवाचार करने और विस्तार करने के लिए बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिलेगा।"

ईपीसीएच देश से दुनिया के विभिन्न स्थलों के लिए हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प वस्तुओं और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेशों में भारत की छवि पेश करने के लिए एक नोडल संस्थान है। ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान हस्तशिल्प निर्यात 32,758.80 करोड़ रुपये (3,956.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था, जो पिछले वर्ष की तुलना में रुपये के लिहाज से 9.13% और डॉलर के लिहाज से 6.11% की वृद्धि दर्ज हुई और अप्रैल से दिसंबर, 2024-25 तक चालू वित्त वर्ष के नौ महीनों के दौरान हस्तशिल्प निर्यात 24,595.97 करोड़ रुपये (2,930.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपये के लिहाज से 6.21% और डॉलर के लिहाज से 4.56% की वृद्धि दर्ज हुई ।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :
श्री आर.के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक - ईपीसीएच
+91-9810697868

EPCH हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्
Export Promotion Council for Handicrafts
EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS
EPCH HOUSE Pocket 6 & 7 Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070
Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com I www.epch.in
CIN U20299DL1955NPLO23253
GST NO: 07AAACE1747M1ZJ

PRESS RELEASE

UNION BUDGET 2025-26 ANNOUNCED BY THE UNION FINANCE MINISTER

Sets up Export Promotion Mission, Additional items for Duty free Import for Handicraft exporters Notified

New Delhi – 01st February, 2025: Today, The Union Budget for 2025-26 was presented by Smt. Nirmala Sitaraman, Union Finance Minister, Govt. of India. Shri Dileep Baid, Chairman - EPCH said that the Union Budget 2025 outlines a strategic framework for increasing exports, focusing on MSMEs, infrastructure, digital trade facilitation and sector-specific incentives. The Budget 2025 contains some benefits for the handicrafts sector which the council has been representing at several forums. Adding further, he indicated some of the following measures addressed in the budget includes:

- **Duty Free Import** – Earlier 9 items were allowed duty-free import under Import of Goods at Concessional Rate of Duty (IGCR) by bonafide handicrafts exporters. In the budget 2025-26, the following additional 9 items have been included for IGCR:-
  "(j) Electric parts for fitting on electric lamp / table lamp / wall lamp / ceiling Lamp / door lamp / Window lamp / Garden lamp/ wire roll/Christmas ornamentation
  (k) Chemical / lacquer required for improved finish of export product
  (l) Wood Polish materials
  (m) Sea shell, Mother of Pearl (MOP), Cattle horn and Bone Materials
  (n) Clock movement
  (o) Adhesive / glue
  (p) Natural essential oils/ aromatic chemicals
  (q) Compact Fluorescent Lamps (CFL) and bulbs of 120 volts
  (r) Resins";

  The time limit for the end-use of imported inputs in the relevant rules, is extended from 6 months to 12 months and have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. Further, provided that the said period of twelve months may be further extended by the jurisdictional Commissioner for a period not exceeding three months.

- **Export Promotion Mission-** An Export Promotion Mission will set up with sectorial and ministerial targets, driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets.
- **Bharat Trade Net -** A digital public infrastructure, 'Bharat Trade Net' (BTN) for international trade to be set-up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. The BTN will be aligned with international practices.
- **Revision in classification criteria for MSMEs –**MSMEs accounts for 45 per cent of our exports and to help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs enhanced to 2.5 and 2 times respectively.

Rs. in Crore	Investment		Turnover	
	Current	Revised	Current	Revised
Micro Enterprises	1	2.5	5	10
Small Enterprises	10	25	50	100
Medium Enterprises	50	125	250	500

- **Credit Cards for Micro Enterprises –** the new scheme is announced for customized Credit Cards with a Rs. 5 lakh limit in the first year for micro enterprises registered on Udyam portal.
- **Scheme for First-time Entrepreneurs -** A new scheme for women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes first-time entrepreneurs will provide term loans up to Rs. 2 crore during the next 5 years.

- **National Centres of Excellence for Skilling -** Five National Centres of Excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to develop skills required for "Make for India, Make for the World" manufacturing.
- **Support for integration with Global Supply Chains** - Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains.
- **Time limit for Provisional Assessment -** The Customs Act, 1962 does not provide any time limit to finalize Provisional Assessments leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, it is proposed to fix a time-limit of two years, extendable by a year, for finalising the provisional assessment.
- **TDS/TCS rationalization for easing difficulties -** To rationalize Tax Deduction at Source (TDS) by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. The annual limit of Rs. 2.40 lakh for TDS on rent is being increased to Rs. 6 lakhs.
- **Reductions in Custom Duty –** Custom duty of certain items are reduced such as Marble, all other articles of iron / steel under heading "other furniture and parts under tariff of heading 9403" and article of imitation jewelry under heading 7113.
- **Measures for the Toy Sector –** A National Action Plan for Toys will come up with a scheme to make India a global hub for toys under 'Made in India' brand. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys.

Shri Dileep Baid, Chairman-EPCH said that "the development of BharatTradeNet (BTN), a unified platform for trade documentation and financing solutions and the Export Promotion Mission Mission for export credit and factoring will support MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. Revised classification criteria for MSMEs; New customized credit card scheme for micro enterprises with a Rs. 5 lakh limit in the first year; National Centres of Excellence for Skilling; integration with Global Supply Chains; loan scheme for first-time women, SC, and ST entrepreneurs; enhanced time limit for Provisional Assessment; TDS/TCS rationalization for easing difficulties and others would go a long way in realizing the Hon'ble Prime Minister's vision of Viksit Bharat".

Shri Neeraj Khanna, Vice Chairman – EPCH said that "in Budget 2025, nine additional items have been added to the list of duty-free imports which will reduce input costs for handicraft production. This will encourage the use of diverse raw materials and will enhance product quality, allowing manufacturers to cater a wider range of global markets. Budget also emphasized the government's commitment towards boosting exports by giving financial assistance to MSMEs, streamlining trade processes and improving infrastructure".

Shri Sagar Mehta, Vice Chairman II – EPCH said that "the budget is a forward-looking blueprint aimed at fostering inclusive growth and innovation across sectors. With a strong emphasis on MSMEs, investment and exports budget introduced significant reforms in taxation, infrastructure and financial regulations with focus on tapping India's growth potential".

Shri R. K. Verma, Executive, Director – EPCH said that "the Union Budget 2025-26 sets a comprehensive framework to realize 'Sabka Vikas' and propel India towards a Viksit Bharat. He further added that the government's focus on reducing input costs, National Action Plan for Toys to make India a global hub for toys under 'Made in India' brand and supporting the leather segment will provide the much-needed impetus for manufacturers to innovate and expand their product lines".

EPCH is a nodal agency for promoting exports of handicrafts from the Country to various destinations of the world and projecting India's image abroad as reliable supplier of high quality of handicrafts goods & services. The Handicrafts exports during the year 2023-24 was Rs. 32,758.80 Crores (US $ 3,956.46 Million) registering a growth of 9.13% in rupee term & 6.11% in dollar terms over the previous year and the Handicrafts exports during the nine months of the current financial year from April to December, 2024-25 is Rs. 24,595.97 Crores (US$ 2,930.08 Million) registering a growth of over 6.21% in rupee term & 4.56% in dollar terms over the same period of last year informed by Shri R. K. Verma, Executive Director-EPCH.

For more information, please contact:
Shri R. K. Verma, Executive Director – EPCH
+91-9810697868